

संकल्प

डा0 रवि शंकर प्रसाद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलौली, खगडिया (कोटि क्रमांक-G2411, जन्म तिथि-15.01.1978) के विरुद्ध दिनांक-17.11.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-525(9) दिनांक-17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्रांक-1104(9) दिनांक-05.10.2023 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से तथा विभागीय पत्रांक-1105(9) दिनांक-05.10.2023 द्वारा डा0 प्रसाद से द्वितीय कारण-पृच्छा की गई।

3. डा0 प्रसाद द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया जिसमें वे अपने वृद्ध माता-पिता का हवाला देते हुए अपना स्थानान्तरण दरभंगा स्थित DMCH अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी बायोकेमिस्ट के पद पर कार्य करने की बात कही है। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल है। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 प्रसाद को बिना विभागीय अनुमति के कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में "सेवाच्युति" की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2783 दिनांक-26.09.2025 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-15.09.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-10 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

5. तदनुसार डा0 रवि शंकर प्रसाद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलौली, खगडिया को दिनांक-17.11.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(x) के अन्तर्गत "सेवाच्युति" की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश:-संकल्प की प्रति डा0 रवि शंकर प्रसाद एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-04-52/2023(स्वा०).....1306(98) पटना, दिनांक: 22.09.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, खगडिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा0 रवि शंकर प्रसाद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलौली, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/09/2026

15

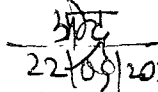
प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 5, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/09/2024
सरकार के अवर सचिव।